एचओ:बीआर:111/101 25 अप्रैल, 2019

भारत में स्थित सभी शाखाओं/कार्यालयों के लिए परिपत्र

मानव संसाधन प्रबंधन विभाग प्रधान कार्यालय, बड़ौदा द्वारा जारी

महोदय/महोदया,

विषय: दिनांक 01.04.2019 से माइलस्टोन अवार्ड की शुरुआत

- 10 वर्ष एवं 25 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण करने पर

- अधिवर्षिता पर

बैंक के प्रति कर्मचारियों के निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवा भाव को सराहने के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने कर्मचारियों के लिए उनके कॅरियर में एक निश्चित सेवा अविध पूर्ण करने पर दिनांक 01.04.2019 से माइलस्टोन अवार्ड की शुरुआत की मंजूरी दी है जो निम्नानुसार है:

ए. 10 वर्ष की सेवा पर माइलस्टोन अवार्डः

दिनांक 01.04.2019 को या उसके बाद 10 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण करने पर सभी संवर्ग या ग्रेड/स्केल के कर्मचारियों को रु. 8000/- का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा.

बी. 25 वर्ष की सेवा पर माइलस्टोन अवार्डः

दिनांक 01.04.2019 को या उसके बाद 25 वर्ष की सक्रिय सेवा पूर्ण करने पर कर्मचारियों को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किया जाएगाः

ग्रेड/स्केल	सब-स्टाफ	लिपिक	स्केल- I से III	स्केल- IV से VI	स्केल- VII
राशि रु. में	10000	10000	12000	14000	16000

दिनांक 01.04.2019 से बैंक की 'कर्मचारियों के लिए सिल्वर जुबली सम्मान योजना' को उपर्युक्त योजना '25 वर्ष की सेवा पर माइलस्टोन अवार्ड' में बदल दिया गया है.

सी. अधिवर्षिता पर माइलस्टोन अवार्डः

अधिवर्षिता (अर्थात् अधिवर्षिता की आयु अर्थात् 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्ति) पर कर्मचारियों को निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किया जाएगाः

माइलस्टोन	राशि रु. में		
सब-स्टाफ	15000		
लिपिक	18000		
स्केल- I से III	22500		
स्केल- IV से V	30000		
स्केल- VI से VII	37500		

तथापि, अभिनंदन योजना स्कीम (बॉब लोगो और स्टाफ सदस्य की सेवा अवधि वाला विशिष्ट रूप से निर्मित 200 ग्राम चांदी का स्मृति चिह्न) मौजूदा नियम एवं शर्तों के अनुसार जारी रहेगी.

माइलस्टोन अवार्ड के लिए नियम एवं शर्तैं:

किसी कर्मचारी को ये सम्मान निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किए जाएंगेः

- 1) सेवा माइलस्टोन अवार्ड 10 वर्ष एवं 25 वर्ष की सक्रिय सेवा (अर्थात् बिना वेतन वाला असामान्य अवकाश, अनिधकृत अनुपस्थिति, सबेटिकल अवकाश, निलंबन अविध (जिसमें ड्यूटी नहीं की गई) आदि को सिक्रिय सेवा की गणना करते समय शामिल नहीं किया जाएगा) पूर्ण होने पर प्रदान किया जाएगा.
- 2) निलंबन के अधीन कर्मचारी सेवा माइलस्टोन अवार्ड के लिए पात्र नहीं होंगे. पुरस्कार पुनः बहाली पर प्रदान किया जाएगा जो सक्रिय सेवा अविध पूरी किए जाने के अधीन होगा.
- 3) अधिवर्षिता माइलस्टोन अवार्ड अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति के समय प्रदान किया जाएगा.
- 4) पुरस्कार किसी वस्तु जैसे कलाई घड़ी, सिल्वर मेमेंटो या कर्मचारी की पसंदी की किसी अन्य वस्तु के रूप में होगा. कर्मचारियों को संबंधित मूल्य की एक वस्तु खरीदनी होगी तथा पेरौल क्लेम मॉड्यूल के माध्यम से बिल/भुगतान रसीद की प्रस्तुति कर प्रतिपूर्ति हेतु दावा करना होगा.
- 5) सेवा माइलस्टोन पर पहुंचने के बाद तीन माह के भीतर प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत किया जा सकता है.
- 6) अधिवर्षिता माइलस्टोन अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्ति के बाद प्रदान किया जाएगा. खरीदी गई वस्तु का बिल/रसीद प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारी की ओर से शाखा प्रमुख/ यूनिट पेरौल पर्यवेक्षक को दावा प्रस्तुत करना होगा.
- 7) पुरस्कार की राशि सभी लागू कर सहित होगी और इस परिपत्र में निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी.

पुरस्कार की प्रस्तुतिः

- ❖ 10 वर्ष एवं 25 वर्ष की माइलस्टोन सेवा पूर्ण करने के लिए क्षेत्रीय प्रमुख (क्षेत्र से जुड़ी शाखाओं एवं प्रशासनिक कार्यालयों के लिए)/ अंचल प्रमुख/ विभाग प्रमुख (अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के लिए) द्वारा मासिक/तिमाही आधार पर (माह/तिमाही के दौरान पुरस्कार के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या के आधार पर क्षेत्र/अंचल/विभाग के निर्णयानुसार) माह/तिमाही के अंतिम सप्ताह के दौरान एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा. यह समारोह संबंधित माह के सेवानिवृत्ति समारोह के साथ किया जा सकता है.
- ❖ अधिवर्षिता माइलस्टोन पूर्व पद्धित के अनुसार मासिक आधार पर प्रदान किया जाएगा और इस समारोह
 में परिवार के सदस्यों/पती-पत्नी को भी आमंत्रित किया जा सकता है.

कृपया इस परिपत्र की विषय-वस्तु को अपनी शाखा/कार्यालय के सभी कर्मचारियों के ध्यान में लाएं तथा इसकी एक प्रति नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें.

भवदीया,

हस्ता/-(अर्चना पाण्डेय) प्रमुख- (मासंप्र) एवं सीएलओ HO:BR:111:**101** 25th April, 2019

CIRCULAR TO ALL BRANCHES/OFFICES IN INDIA

Issued by
HRM Department, Head Office, Vadodara

Madam/Dear sir,

Re.: Introduction of Milestone Award w.e.f. 01.04.2019

- On completion of 10 years & 25 years active service
- On Superannuation

With a view to acknowledge the loyalty and dedicated service of employees towards the Bank, the Board of Directors has approved <u>introduction of Milestone award w.e.f. 01.04.2019</u> for employees on reaching a certain service milestone in their career, which is as under:

A. 10 YEARS' SERVICE MILESTONE AWARD:

Employees will be paid Award of ₹ 8,000/- irrespective of Cadre or Grade/scale, on completion of 10 years active service on or after 01.04.2019.

B. 25 YEARS' SERVICE MILESTONE AWARD:

Employees will be paid Award as mentioned below on completion of 25 years active service on or after 01.04.2019:

Grade/scale	Sub-staff	Clerical	Scale I to III	Scale-IV to VI	Scale-VII
Amount in ₹	10000	10000	12000	14000	16000

Bank's scheme for "Silver Jubilee Felicitation Scheme for Employees" is replaced with the above scheme "25 years' Service Milestone Award" w.e.f. 01.04.2019.

C. SUPERANNUATION MILESTONE AWARD:

Employees will be paid an Award as mentioned below on Superannuation (i.e. retirement on attaining age of superannuation, i.e. -60- years of age):

Milestone	Amount in ₹		
Sub-staff	15000		
Clerical	18000		
Scale I to III	22500		
Scale-IV to V	30000		
Scale-VI to VII	37500		

However, Abhinandan Yojna scheme (customized 200 grams Silver memento with BOB Logo & Service Tenure of an individual) will continue as per the existing terms and conditions.

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. – छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा−390007. गुजरात. (भारत).

Head Office : HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

फोन / Phone : 91-265-2316626 / 27 ई-मेल/E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com



The honour should be bestowed on an employee subject to following conditions:

- 1) The Service Milestone award will be paid on completion of 10 years & 25 years of active service (i.e. Extra ordinary Leave on Loss of pay, Unauthorised absence, Sabbatical leave, Suspension period (not spent on duty) etc will be excluded while calculating active service).
- 2) Employees under suspension will not be eligible for Service Milestone award. The award will be released on reinstatement subject to completion of active service.
- 3) Superannuation milestone award will be paid at the time of retirement on attaining the age of superannuation.
- 4) The award would be in the form of an article like wrist watch, Silver memento, or any other article of the employee's choice. Employees will be required to purchase an article of the respective value and claim reimbursement using Payroll claim module, by submitting bill/payment receipt.
- 5) The reimbursement may be claimed within 3 months after reaching the service milestone.
- 6) The Superannuation milestone will be paid after retirement on superannuation. The Branch Head/Unit Payroll Supervisor will be required to claim on behalf of the superannuated employee after receiving the bill/receipt of the article purchased.
- 7) The cost of the award will be inclusive of all applicable taxes & would not exceed the amount stipulated in this circular.

Presentation of the Award:

- A certificate for completion of service milestone of 10 years and 25 years will be presented by the Regional Head (for branches & administrative Offices attached to the Region)/Zonal Head /Departmental Head (for other administrative offices) on monthly/quarterly basis (at the discretion of the region/Zone/Department depending on number of employees eligible for award during the month/quarter) during last week of the month/ quarter. This function can be coincided with the Retirement function of the respective month.
- Superannuation milestone will be presented on monthly basis as per the prevailing practice and family members/spouse may be invited for the function.

Please bring the contents of this circular to the notice of all employees of your branch/office and also display a copy of the same on the Notice Board.

Yours faithfully,

(ARCHANA PANDEY) HEAD (HRM) & CLO

प्रधान कार्यालय : मा.सं.प्र. - छठा तल, "बड़ौदा भवन", आर.सी.दत्त रोड, अलकापुरी, बड़ौदा-390007. गुजरात. (भारत).

Head Office: HRM - 6th Floor, "Baroda Bhavan", R. C. Dutt Road, Alkapuri, Baroda - 390007. Gujarat (INDIA).

फोन / Phone : 91-265-2316626 / 27 ई-मेल/E-mail : hrm.ho@bankofbaroda.com